

परिशिष्ट - दो
पृष्ठ - 2

निम्नलिखित एवं जानिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 को देखे।

मेरी

दूरभाष
फैक्स

कार्यालय सुच्च शिक्षा नैनीताल, उत्तराखण्ड

फोन - 12985

दिनांक 30.3.13

देश

अधिकारी/व्यवस्थापक/प्रबन्धक

स्त्री - साई प० सूर्योदाय
बजेतालपुर हल्दीना

लिखत - निम्नलिखित एवं जानिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के अधोजनार्थ निम्नलिखित एवं जानिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रगाण-पत्र निर्गत करते हैं।

नहोदय/नहोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 14.3.13.... के त्रम में
आपके विद्यालय स्त्री साई प० सूर्योदाय बजेतालपुर हल्दीना (विद्यालय का नाम ऐवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रगाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 179.... है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम-18 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

S

गुरुच्छ शिक्षा अधिकारी,
जगपद - नैनीताल
उत्तराखण्ड